RAJYA SABHA

Tuesday, the 14th December, 1999/23 Agrahayana, 1921 (Saka)

The House met at eleven of the Clock.

Mr. Chairman *in the Chair*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दूरसंचार नीति का तैयार किया जाना

*221. श्री जनेश्वर मिश्र: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कोई दीर्घकालिक दूरसंचार नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) क्या यह सच है कि एसोचैम (टी०आई०एस०ए०) ने नई दूरसंचार नीति-1999 के मसौदे का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) सरकार ने नई दूरसंचार नीति (एन०टी०पी० 1998) की घोषणा की है जो 1 अप्रैल 1999 से लागू है। इस समय उक्त नीति का कार्यान्वयन चल रहा है तथा फिलहाल अन्य दीर्घकालिक संचार-नीति बनाने का कोई विचार नहीं है।

(ग) एसोचैम/टीआईएसए ने "दूरसंचार नीति-1999" के मसौदे का विरोध नहीं पा, अपितु इस पर उन्होंने कुछेक सुझाव दिए जिन पर नई नीति तैयार करते समय र द्वारा विधिवत रूप से विचार किया गया।

उपर्युक्त भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Formulation of Telecom Policy

†*221. SHRI JANESHWAR MISRA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government are contemplating to formulate any long term telecommunication policy;

(b) if so, by when;

---

†Original Notice of the Question received in Hindi.

(c) whether it is a fact that the ASOCHAM (TISA) has opposed the draft of the new Telecommunications Policy-1999; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) and (b) The Government has announced New Telecom Policy (NTP-1999) effective from 1st April, 1999. This is currently under implementation and it is not contemplated to formulate any other long term communication policy now.

(c) ASSOCHAM/TISA did not oppose the draft Telecommunication Policy 1999. Instead, they gave some suggestions which were duly considered by the Government while formulating the New Policy.

(d) In view of (c) above, the question does not arise.

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति महोदय, मंत्री जी ने बड़ी चालाकी से बयान दिया है। यह सही है कि अखबारों में एसोचैम और दूसरे लोगों ने बहुत सख्त एतराज नई दूर संचार नीति के बारे में जाहिर किया है, जिसको हम लोग अखबारों में पढ़ते रहे हैं।

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): सर, चालाक असंसदीय शब्द है।

श्री जनेश्वर मिश्र: चालाक संसदीय शब्द है, मैडम। मैंने यहां चालाकी कहा है। मैं खासतौर से जानना यह चाहता हूं क्योंकि नई जो आर्थिक उदारीकरण की नीति है, उसका शिकार सबसे ज्यादा दूर-संचार महकमा हुआ है।

श्री सभापति: आप सवाल कीजिए, एक्सप्लेन न कीजिए।

श्री जनेश्वर मिश्र: सर, ब्रीफ नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल पर आ रहा हूं। उसके लिए तो मैं माननीय मनमोहन सिंह जी से लेकर यशवंत सिन्हा जी तक को दोष दूंगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सही है कि टेलीफोन आपरेटर्स पर 400 करोड़ रुपए से ऊपर की रकम आज भी बाकी है, जिसको ट्राई लाचारी की हालत में देख रहा है, दूर संचार विभाग भी लाचारी की हालत में देख रहा है और उसको हासिल करने की ताकत उसमें नहीं रह गई है?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI TAPAN SIKDAR): The TRAI has made recommendations. We have received them only yesterday. We will discuss the things in detail and then decide.

श्री जनेश्वर मिश्र: अध्यक्ष जी, यह जवाब नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि ट्राई और

दूरसंचार विभाग इस रुपए को वसूल करने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया है और आज मैंने जान-बूझकर अदालत का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसके फैसलों पर चर्चा करना मैं सदन में उचित नहीं मानता। इसीलिए मैंने कह दिया कि ट्राई आज मजबूर और लाचार हालत में अपने को पा रहा है, इस तरह का बकाया वसूल करने के लिए। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा है कि ट्राई के ही किसी अधिकारी ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं, पैसा जमा करने के बारे में निजी आपरेटरों को लेकर के, लेकिन वे गाइडलाइंस अभी तय नहीं हुई यह तो हम जानते हैं अखबार पढ़ने से, मंत्री जी के जवाब देने की जरूरत नहीं है।

मैं अपने दूसरे सप्लीमेंटरी सवाल के रूप में यह जानना चाहता हूं कि जब कभी भी नीति बनती है तो नीति बनाने में गरीब का ख्याल रखा जाता है। गांव में टेलीफोन लग गए। गांव के लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं। शहर के लोग और गांव के लोग अपने घर वालों की हालत जानने के लिए बेताब रहते हैं। गांव में गरीबी होती है तभी वे शहर की ओर भागते हैं। अगर गांव में दौलत होती तो वे नहीं भागते, वहां गरीबी होती है। शहर के लोगों के लिए जो रेट हैं, क्या गांव के लोगों को उनके मुकाबले कुछ सहूलियत दी जाएगी, नई दूर संचार नीति के अंदर? यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो सेलुलर फोन है, उसकी लागत कम होती है आम टेलीफोन के मुकाबले, लेकिन आम टेलीफोन से सेलुलर फोन की काल की कीमत दस गुना ज्यादा है। अगर यह भेदभाव किया ही जा रहा है तो क्यों नहीं नई दूर संचार नीति में शहर और गांव के लोगों के बीच में सहूलियत के नाम पर यह भेदभाव किया जाता?

श्री राम विलास पासवान: सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसके दो भाग हैं। पहले भाग में जो उन्होंने प्रश्न किया है, वह है कि "क्या सरकार कोई दीर्घकालिक दूरसंचार नीति तैयार करने पर विचार कर रही है?" इसका जवाब हमने दिया है कि "अभी कोई दीर्घकालीन नीति पर विचार करने की योजना नहीं है, जो विचार करना था सरकार ने कर लिया, आवश्यकता पड़ेगी तब इसमें देखा जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कोई सरकार का विचार नहीं है।"

फिर दूसरे भाग में माननीय सदस्य ने प्रश्न किया "यदि हां, तो कब तक?

फिर (ग) भाग में इन्होंने पूछा कि क्या यह सच है कि एसोचैम (टी०आई०एस०ए०) ने नई दूरसंचार नीति-1999 के मसौदे का विरोध किया है, और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? मैंने कह दिया कि "नहीं, विरोध नहीं किया।"

अब मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न माननीय सदस्य कहां से उठा रहे हैं। आप यदि कहें कि एसोचैम ने क्या-क्या सुझाव दिए हैं, सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है या जो हमारी दूरसंचार नीति थी, पहले क्या थी 1994 में, अब क्या हमने नीति बनाई है, उस पर तो हम

जवाब दे सकते हैं लेकिन जो माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं नहीं समझता इस दायरे में वह प्रश्न आता है।

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति जी, यदि आप हमको निर्देश दें तो हम नहीं पूछेंगे कि गांव के लोग, गरीब लोग ....**(व्यवधान)**...

श्री राम विलास पासवान: जहां तक गांव के लोगों का और शहर के लोगों का सवाल है, गांव के लोगों को शहर के लोगों से ज्यादा रियायत दी गई है।

SHRI J. CHITHARANJAN: Sir, the Telecom Regulatory Authority of India has forwarded with a new proposal of allowing or giving licence to a lot of companies, subject to certain conditions, which can engage in long distance telephone service. I would like to know from the hon. Minister whether this recommendation made by the TRAI is in conformity with the Telecom Policy that was declared by the Government. Secondly, I would also like to know as to what exactly the Government approach to the proposal made by the TRAI is.

SHRI TAPAN SIKDAR: The private operators have also sacrificed once more in this regard. They have accepted the competition and have also withdrawn 35 court cases. This loss, in any case, is a notional thing, and that is why, I think, they are making a sacrifice in this regard. There is no question of any loss of duty.

SHRI J. CHITHARANJAN: Sir, he has not answered my question.

SHRI TAPAN SIKDAR: What is your question?

SHRI J. CHITHARANJAN: My question is this. The new proposal made, or, the scheme proposed, by the Regulatory Authority is to give licences to a good number of companies, subject to certain conditions, which can engage in long-distance telecom service. What I would like to know is, whether that proposal made by TRAI (the Telecom Regulatory Authority) is in conformity with the Policy that you have declared.

The next part of the question is what exactly the approach of the Government towards that proposal is.

श्री राम विलास पासवान: सभापति महोदय, जो नयी टेलीकॉम पालिसी है, उसके तहत

टैरिफ के मामले में ट्राई को पूरा का पूरा अधिकार दिया गया है। यह सब लोगों की डिमांड थी। जब हम कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़नी चाहिए, तो सरकार को और प्राइवेट ऑपरेटर्स को काम करने का समान अवसर मिलना चाहिए। पूरे देश में इस तरह की फीलिंग थी कि कोई ऐसा ऑपरेटर रहे जो दोनों को इक्वली ट्रीट कर सके। इसके तहत ट्राई को इस मामले में पूरा का पूरा अधिकार दिया गया है। हां, हम लोग जरूर यह कोशिश करते हैं कि जब ट्राई किसी चीज को रिकमेंड करता है तो उसमें हम देखें कि आम लोगों के ऊपर, मासेज़ के ऊपर उसका ज्यादा भार न पड़े और उसके अंतर्गत जितनी सीलिंग रखी जा सकती है, वह सीलिंग हम रखने का काम करते हैं।

सभापति महोदय, जहां तक दोनों के संबंध में एक-सी पालिसी का सवाल है, मैं समझता हूं कि ट्राई की अब माइग्रेशन पालिसी है। पहले लाइसेंस फी की पालिसी थी। लाइसेंस फी के आधार पर हम देते थे जिसमें काफी दिक्कतें आई और हमारी इंडस्ट्रीज़ बंद होने के कगार पर पहुंच गई। उसके बाद माइग्रेशन पालिसी हमने लागू की। उसके तहत पहले जहां दो कंपीटीटर थे, अब उसके बजाय जैसा कि हमारे साथी ने कहा, अब उसमें अधिक लोगों को कंपीटीशन करने का मौका मिलेगा। इसलिए माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह सही नहीं है। जहां तक लॉग डिस्टेंस टेलीफोन के बारे में ट्राई की रिकमंडेशन का सवाल है, ट्राई ने क्या रिकमंडेशन दिया है, इसके बारे में अखबारों के माध्यम से हमें थोड़ी जानकारी प्राप्त हुई है। जब पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, तब सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री बालकवि बैरागी: माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या आपने दूर संचार नीति के संबंध में सोडी कमेटी की सिफारिशों का अध्ययन कर लिया है और सोडी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आप एस०टी०डी० का कब तक निजीकरण कर देंगे, उसकी शर्तें क्या होंगी? जैसा कि श्री सोडी ने खुद बयान दिया है कि एस०टी०डी० की जो हमारी आज की दरें हैं, उनमें काफी फर्क है और उसमें काफी राहत दी जा सकती है। बाहर का ऑपरेटर, जो भी निजी क्षेत्र का ऑपरेटर आएगा, वह कब तक इस देश में आएगा और उसके लिए आपके टेंडर की शर्तें क्या होंगी, कृपया इसकी पूरी जानकारी आप दीजिए।

श्री राम विलास पासवान: सभापति महोदय, जहां तक सोडी कमेटी का सवाल है, मुझे मालूम नहीं है कि सोडी कमेटी है। हमारी एक टेलीकॉम रेगुलेटरी ऐथॉरिटी है जिसके अध्यक्ष हैं हाई कोर्ट के भूतपूर्व चीफ जस्टिस, श्री सोडी लेकिन कोई सोडी कमेटी नहीं है और जैसा कि मैंने कहा कि वह जो टेलीकॉम रेगुलेटरी ऐथॉरिटी है, उसको हम पावरफुल बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री बालकवि बैरागी: मिस्टर सोडी आज सवेरे टेलीविजन पर थे, "जी न्यूज" में थे, उसमें वे खुद बता रहे थे।

श्री राम विलास पासवान: आपने कहा सोडी कमेटी, इसलिए मैंने कहा कि सोडी कमेटी नहीं है।

श्री बालकवि बैरागी: उनकी अनुशंसाएं तो आपके सामने आई हैं?

श्री राम विलास पासवान: अभी उनकी अनुशंसाएं आनी हैं। जो अनुशंसा की गई थी टैरिफ के संबंध में, सरकार ने पहली मई से उस टैरिफ को लागू कर दिया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस भेजी थीं कि इतनी से इतनी दूर तक फ्री रहना चाहिए। जहां ग्रामीण एरिया था, वहां हमने उसको लागू किया है और एरिया बढ़ाकर लागू किया है। जो भी उनकी अनुशंसाएं थीं फैसिलिटी देने की, उन अनुशंसाओं को अधिकांश रूप में और पब्लिक इंट्रस्ट में लागू किया गया है। बाकी जो अनुशंसाएं उनके पास हैं रिकमेंडेशंस हैं उनके पास में हैं और ज्यों-ज्यों रिकमेंडेशंस आती जाएंगी सरकार उन पर विचार करेगी। आज आप जिस टेलीविजन की बातों का जिक्र कर रहे हैं वह अखबार में आया है। लेकिन जब सरकार के पास यह विधिवत आएगा तो सरकार उस पर विचार करेगी।

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, the Government has indicated that the new Telecommunication Policy is operative from the 1st April. Part (a) of my supplementary is this. I would like to know when the Government will lay the National Telecom Policy-1999 and the Migration Package for the migration of private operators from the licence-fee regime to the revenue-sharing regime on the Table of the House.

Part (b) of my supplementary is this. The Communications Minister had also said that the migration package was allowed to the private operators because all their industries were sick and they were on the point of closure. I would like to know specifically from the hon. Minister about the eight cellular operators in the four metropolitan cities. What was their profit and loss account in the last three years?

श्री राम विलास पासवान: सर, जहां तक दूरसंचार नीति को सभा-पटल पर नहीं रखने का सवाल है, 22 फरवरी, 1999 को संसद सत्र शुरू हुआ था और 18-3-99 को खत्म हुआ था और फिर 12-4-99 को बुलाया गया था। सरकार ने 26-3-99 को नई दूरसंचार नीति-1999 की घोषणा की। उस समय संसद सत्र नहीं चल रहा था।

एन०टी०पी०-99 की पांच प्रतियां पुस्तकालय, अध्यक्ष लोक सभा और सचिवालय पुस्तकालय, संसद भवन को एक अप्रैल, 1999 को भेज दी गई। एन०टी०पी०-99 की 550 और 250 प्रतियां

अंग्रेजी और हिन्दी में क्रमशः लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को 20 अप्रैल, 1999 को भेज दी गई ताकि माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी हो सके। जो कोर्ट का आदेश आया उस आदेश में उन्होंने दो बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि जो सरकार की पुरानी पौलिसी है, उस पौलिसी के संबंध में, दोबारा जो नई सरकार आए, वह नई सरकार मंत्रिमंडल में उस पर विचार करे। जब नई सरकार आई तो नई सरकार ने मंत्रिमंडल में इस पर विचार किया और उसको अनुमोदित कर दिया। दूसरा सवाल जो आपने कहा है पार्लियामेंट का, यदि कोई माननीय सदस्य चाहे या पार्लियामेंट चाहे तो उसको डिस-एप्रूव कर सकती है। वह सरकार के ऊपर जवाबदेही नहीं थी और अगर कोई सवाल आता है, तो पार्लियामेंट चाहे तो उसकी डिस-एप्रूव कर सकती है और ...(व्यवधान)

श्री नीलोत्पल बसु: लेकिन वह तो पटल पर नहीं रखी गई है।

श्री राम विलास पासवान: मैंने कहा कि सभा-पटल पर पहले ही रख दिया गया था। आप दोबारा कहेंगे तो हम फिर दोबारा उसको रख देंगे, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। लाईब्रेरी में रख दी गई है। आप लायब्रेरी में ...(व्यवधान)

श्री नीलोपल बसु: माइग्रेशन पैकेज तो नहीं रखा है। माइग्रेशन तो नई पौलिसी है।

श्री राम विलास पासवान: वह पौलिसी नहीं है।

श्री नीलोत्पल बसु: पौलिसी है, इसलिए 26 मार्च की जो पौलिसी है उस रिपोर्ट के तहत यह कहा गया था कि 6 जुलाई का जो माइग्रेशन पैकेज है वह 26 मार्च की पौलिसी के तहत नहीं निकलता है, यह बात साफ शब्दों से उस रिपोर्ट में रखी गई थी। वह रिपोर्ट हमारे पास है। सवाल यह उठता है कि आप अगर लायब्रेरी में रखते हैं उसके आधार पर अगर चेयरमैन साहब परमिट करते हैं तो हम डिस-एप्रूवल मोशन जरूर लाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि आपकी नई सरकार ने अनुमति देने के बावजूद पिछले दिनों जो 5 दिन का स्पेशल सेशन था और अब इस सेशन को दस दिन हो गया है, अभी तक न नई पौलिसी और न माइग्रेशन पैकेज, जो कि नई पौलिसी है, उसको आपने सभा-पटल पर रखा है। इस तरह हमारा डिस-एप्रूवल मोशन लाने का जो अधिकार कानून के तहत, रूल्स आफ बिजनेस के तहत है उससे हमें वंचित किया जा रहा है। यह सवाल हमने उठाया था और हम यह चाहते थे कि आप यह कमिटमेंट करें कि कब आप इसे लाएंगे ताकि खुलकर बातचीत हो सके।

श्री राम विलास पासवान: सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हर चीजों में सरकार खुलकर बात करना चाहती है। इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। आपका आदेश होगा, मैंने कहा कि हमारा जो कोर्ट आदेश है पहले रखा जा चुका है। आपने जो नया पैकेज कहा है तो वह माइग्रेशन पैकेज कोई पौलिसी नहीं है लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहते हैं और सभापति महोदय का आदेश होगा तो सरकार इसको रखने के लिए भी तैयार है। सरकार इस पर फुल डिबेट करने के लिए भी तैयार है।

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, this is a very important issue and

we have no difference of opinion. We will move a motion and you please allow a structured discussion on the whole gamut of issues arising out of the Telecom Policy as well as the Migration Package. Now let him give the answer to my question. मेट्रो सेलुलर आपरेटर्स का प्राफिट एंड लॉस क्या था?

श्री राम विलास पासवान: सर, यदि आप माननीय सदस्य को इसका जवाब देने के लिए कहेंगे तो हम उनको भेज देंगे और सदन में रखने के लिए कहेंगे तो हम सदन के पटल पर रख देंगे। इसमें सेलुलर है, इसमें बेसिक टेलीफोन है, इसमें कॉल का मामला है, दूर-काल का मामला है। यदि माननीय सदस्य अलग-अलग चाहेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पास पूरे फैक्ट्स हैं, उनको हम यहां पर रख भी सकते हैं और माननीय सदस्य को भेज सकते हैं।

SHRI R. MARGABANDU: Sir, STD Committees were constituted during the regime of the Third Front Government to provide STD booths to unemployed youths. The norm fixed was that one STD booth should be allotted for every 100 telephones. The deserving persons were given STD booths to earn their livelihood. During the regime of the previous Government, the officials proposed to have a seniority list for registration of applications. All MPs from Tamil Nadu opposed that move saying it would lead to malpractice and undue favouritism and it would be unfair. The MPs could have been consulted. Now, the STD Committees were abolished. It will be unviable, when compared to the installation expenses which come to Rs. 30,000 or Rs. 40,000, and it will be difficult for the unemployed youths to earn their livelihood. I would like to know from the hon. Minister whether the STD Committees will be revived.

श्री रामविलास पासवान: सर, हमको नहीं पता, हम जब आए तो हमारे पास माननीय सदस्यों के द्वारा बहुत सारी एप्लीकेशन्स आने लगी कि हमारा एसटीडी बूथ की रिकमेण्डेशन है इत्यादि-इत्यादि। हमने देखा कि जब हमने सरकार की यह पालिसी बनाई है कि 2002 तक हम हर गांव में टेलीफोन दे देंगे, हमारा लक्ष्य हर डिस्ट्रिक्ट को मार्च 2000 तक इंटरनेट से जोड़ने का है तो हमने उसके लिए अलग-अलग कमेटियां भी बना दी। मैं ज्यों ही इस मंत्रालय में आया, मैं मंत्रालय में कोई टेक्नीकल आदमी नहीं हूं, मैं मासेज का आदमी हूं, जब मैं मंत्रालय में आया तो मैंने रूरल एरियाज में टेलीफोन पहुंचाने के लिए कमेटी डीडीजी सीनियर की अध्यक्षता में बना दी। जो विलेज तक टेलीफोन को पहुचाने का टारगेट तय करेगी और मैं स्वयं इसकी मानीटरिंग कर रहा हूं। मैं हर स्टेट में जा रहा हूं। आप माननीय सदस्यों को भी वहां बुलाऊंगा

और जो भी डिफिकल्टीज हैं उनको दूर किया जाएगा। हम नई टेक्नालॉजी ला रहे हैं, मार्स सिस्टम हमारा बिल्कुल खराब हो गया है, जो टॉवर वगैरह हैं गांव-गांव में वह उसी तरह से खड़े हैं। हम उसके बदले में नई टेक्नालॉजी का ईजाद कर रहे हैं। उसी तरीके से हमारे जो शहरी क्षेत्र हैं, उन शहरी क्षेत्रों के लिए हमने एडवाइज़र की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है, जो वर्ल्ड क्लास सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करेगी और जो प्रिवेन्सेज आ रही हैं, उन प्रिवेन्सेज के लिए हमने अपने अंडर में एक कमेटी बना दी है। उसमें बहुत सारी कंपलेंट्स आ रही हैं और उनको सुधारा भी जा रहा है। जहां तक एसटीडी का सवाल था, एसटीडी के संबंध में हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशन्स आ रही हैं। मैंने बैठकर यह निर्णय लिया कि जब ये सारे प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं तो एसटीडी के लिए कमेटी क्यों रखी जाए, क्यों अननेसेसरी आफीसर्स के हाथ में या किसी मेम्बर्स के हाथ में उसको रखा जाए। इसलिए मैंने चार कैटेगरी बना दी हैं। अनइंपलाइड यूथ, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, जो कोई भी अन-इंपलाइड यूथ है और शैड्यूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स, विकलांग और एक्स-आर्मीमेन इन चारों केटेगरीज में जो आते हैं, उनके लिए हमने खुला छोड़ दिया है। अब उसमें घाटा हो या नफा हो।

श्रीमती कमला सिन्हा: औरतों को किस कैटेगरी में रखा है?

श्री रामविलास पासवान: अन-इंपलाइड केटेगरी में औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिन्दू भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, दलित भी हैं। अन-इंपलाइड केटेगरी में सब कवर हो जाता है। शैड्यूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स को इसलिए रखा गया है चूंकि कांस्टीट्यूशन में हर जगह शैड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स हैं।

MR. CHAIRMAN: Shrimati Kamla Sinha. Do you want to say something? Is your question over?

श्रीमती कमला सिन्हा: मैं केवल एक ही सवाल मंत्री जी से पूछना चाहती थी। मंत्री जी ने औरतों वाले सवाल का जवाब तो दे दिया है। मैं मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूं और जिसका अंशतः इन्होंने जवाब दे दिया है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि नई नीति के तहत कितने ग्रामीण इलाकों को दूर संचार से जोड़ने का प्लान है? इसमें आर्थिक दृष्टि से पिछड़े प्रान्त, जैसे बिहार है और अन्य अविकसित प्रान्त हैं, बिहार और उड़ीसा है, ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वेस्टर्न स्टेट्स में काश्मीर वगैरह हैं, उनको क्या कोई स्पेशल पैकेज देने का सरकार का प्रोग्राम है और अगर है तो क्या है?

श्री रामविलास पासवान: सर, अभी पूरे देश में 6 लाख 7 हजार गांव हैं और इनमें से 3 लाख 45 हजार 640 गांवों में टेलीफोन की व्यवस्था हो पाई है और वे सारे टेलीफोन अभी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारा लक्ष्य है 2002 तक हर गांव में टेलीफोन की व्यवस्था करने का। सर, सब स्थानों की भौगोलिक स्थिति अलग-अलग

है। कहीं पहाड़ी एरिया है, कहीं रेगिस्तान है तो कहीं फ्लड का एरिया है तो इनके लिए हमने अपने सहयोगी मंत्री सिकंदर जी की अध्यक्षता में एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी जिसकी रिपोर्ट मेरे पास आ गई है। तो कहां-कहां कौन सी टेक्नालॉजी का इस्तेमाल हो सकता है, यह देखा जाएगा।

अभी बहुत सारी टेक्नालॉजी निकली हैं जैसे डब्ल्यू०एल०एल०—वायरलेस लूप लाईन है, और अन्य टेक्नालॉजी भी हैं। हिली एरिया में कौन सी टेक्नालॉजी काम करेगी, डेजर्ट एरिया में कौन सी टेक्नालॉजी काम करेगी और फ्लड एरिया में कौन सी टेक्नालॉजी काम करेगी—सब जगह तो हम केबल नहीं लगा सकते हैं। जहां तक केबल का सवाल है, उसमें जो बढ़िया से बढ़िया केबल है, उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और कर भी लिया है। इस तरीके से चारों तरफ से चाहे सेल्युलर टेलीफोन हो, चाहे वायरलेस का सेट हो, चाहे सैटेलाइट का माध्यम हो, चाहे केबल का माध्यम हो, हम युद्ध स्तर पर काम करके, बढ़िया से बढ़िया टेक्नालॉजी देकर सारे के सारे एरिया जो बैकवर्ड एरिया हैं, जो हिली एरिया है, जो उपेक्षित एरिया है—ट्राइबल एरिया है, सब जगह टेलीफोन ले जाने का हमारा कार्यक्रम है और हम ले जाएंगे, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं।

Steps to Increase NRI Investments

*222. SHRI PREM CHAND GUPTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that NRI investment in India has been declining for the last few years;

(b) if so, what steps government have taken or propose to take to increase NRI investments in the country;

(c) whether Government propose to establish any separate Department to monitor and encourage NRI investment; and

(d) if so, what would be the specific responsibilities and scope of work of this Department?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) While there has been a decline in NRI direct investment during the years 1996, 1997 and 1998, on the basis of the information available till the end of October this year, the investments during 1999 will be higher than 1998.

(b) Policies and Procedures governing FDI/NRI investments are